

सं0 सं0 14 / एम 11-2 / 16  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
 निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
 सेवा में  
 निदेशक,  
 टाटा स्मारक अस्पताल,  
 परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 14.9.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विशाल कुमार मिश्रा पिता-स्व सुबोध मिश्रा ग्राम-चोपड़ा बखारी पो-हल्दीखोरा थाना-कोचाधामन जिला-किशनगंज केसफाइलनं०-सीएन / 16205	कैंसर रोग	₹ 60,000/- ( साठ हजार) स्वीकृत।
कुल ₹ 60,000/-			

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- ( साठ हजार ) रूपया का क्रास चेक सं0. १११०  
मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मौंग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹ 60/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक १५३५(१५)

पटना, दिनांक ५.१०.१६

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री सरफराज आलम, स.वि.स० / सभी संबंधित मरीजों को / आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१५.१०.१६  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
२०१६